राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ 5(1)डीओपी/ए-II/2010 जयपुर, दिनांक: 6.2.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 01.01.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **अनुसूची-II का संशोधन.**- राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2010 से संलग्न अनुसूची-II में विद्यमान शर्त 1 और 2 और उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"1. **वेतनमान.**- अनुसूची-I में उल्लिखित पद पर नियुक्त होने पर अधिकारी/पदधारी वही वेतन आहरित करेगा/करेगी जो वह नियुक्ति (अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में) से ठीक पूर्व विद्यमान पद के लिए विहित राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित कर रहा था/रही थी। वेतनवृद्धि की अगली तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

2. विशेष भत्ता.- अनुसूची-I के स्तंभ 2 में उल्लिखित पदों पर नियुक्त समस्त अधिकारियों को, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में उनकी सेवावधि के दौरान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन

वेतन मैट्रिक्स में के वेतन लेवल में आहरित मूल वेतन के 7% की दर से विशेष भत्ता संदत्त किया जायेगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव।

1/2024